

सं. 38/37/08-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग


लोक नायक भवन, नई दिल्ली-110003

दिनांक 1 अक्टूबर 2008

### शुद्धि-पत्र

विषय : छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन-2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों इत्यादि की पेंशन का संशोधन ।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के 1 सितंबर, 2008 के का.जा. सं. 38/37/08-पी.एण्ड पी. डब्ल्यू (ए) में “पेंशन के समेकन के संबंध में केन्द्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय/भुगतान एवं लेखा कार्यालय के लिए पेंशन संवितरण प्राधिकरण द्वारा सूचना का फार्म” के संबंध में अनुबंध-11 के स्थान पर संलग्न संशोधित ‘अनुबंध-11’ प्रतिस्थापित किया जाए ।



( एम.पी. सिंह )

निदेशक (पी.पी.)

दूरभाष : 24624802

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि : डाक सूची के अनुसार

(संशोधित)

अनुबंध II

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 1.9.2008 के कार्यालय जापन सं. 38/37/08-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (ए) के अनुसार पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के समेकन के संबंध में केन्द्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय/भुगतान एवं लेखा कार्यालय के लिए पेंशन संवितरण प्राधिकरण द्वारा सूचना का फार्म ।

1. पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी
2. पी.पी.ओ. नं०
3. जन्म तिथि /आयु
4. सेवानिवृत्ति/मृत्यु (कुटुम्ब पेंशन के मामले में) की तिथि
5. बचत बैंक खाता सं०
6. बैंक/भुगतान शाखा का नाम
7. बैंक कोड सं०
8. समेकित पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की गणना

\*पेंशन/\*कुटुम्ब पेंशन/कुटुम्ब पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

पेंशन	कुटुम्ब पेंशन/बढ़ी हुई कुटुम्ब पेंशन
(क) वर्तमान मूल पेंशन (संराशीकृत भाग सहित) (मंहगाई राहत के 50% विलयन के प्रभाव को छोड़कर)	(क) वर्तमान मूल कुटुम्ब पेंशन/बढ़ी हुई कुटुम्ब पेंशन (मंहगाई राहत के 50% विलयन के प्रभाव को छोड़कर)
(ख) मंहगाई पेंशन	(ख) मंहगाई पेंशन
(ग) ए.आई.सी.पी. आई (आई डब्ल्यू) तक मंहगाई राहत	(ग) ए.आई.सी.पी. आई (आई डब्ल्यू) तक मंहगाई राहत
औसत इंडेक्स 536 (आधार वर्ष 1982=100)	औसत इंडेक्स 536 (आधार वर्ष 1982=100)
अर्थात् उपर्युक्त (क)+(ख) का 24%	अर्थात् उपर्युक्त (क)+(ख) का 24%
(घ) उपर्युक्त (क) पर मूल पेंशन का 40%	(घ) उपर्युक्त (क) पर मूल कुटुम्ब पेंशन का 40%
(ड.) समेकित पेंशन ((क)+(ख)+(ग)+(घ)	(ड.) समेकित कुटुम्ब पेंशन (क+ख+ग+घ)

टिप्पणी :

1. पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन का अंतिम संशोधन संबंधित भुगतान और लेखा कार्यालय द्वारा किया जाएगा ।
2. कुटुम्ब पेंशन का अंतिम संशोधन भी संबंधित भुगतान और लेखा कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(\*यदि लागू न हो तो बीचो-बीच एक रेखा से काट दें )

9. क्या समेकित पेंशन/कुटुम्ब पेंशन अंतिम है या तत्काल राहत के रूप में अनुमत है ।
10. टिप्पणी, यदि कोई है ।

पेंशन संवितरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में

1. केन्द्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग  
ट्रिकूट-11, भीकाजी कामा प्लेस  
नई दिल्ली-110066
2. संबंधित भुगतान एवं लेखा कार्यालय